संख्या–492 / V–आ0–2008–187(आ0) / 01टी0सी0–I

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3– अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
4– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून / हरिद्वार।

आवास विभाग

देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2008

विषय : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1803 / V–आ0–2005–187(आ0) / 01टी0सी0–1 दिनांक 4–8–2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–27 के अनुसार नजूल नीति निर्गत होने से दो वर्ष तक लागू रहने की व्यवस्था निर्धारित थी। उक्त नीति के लागू रहने की तिथि दिनांक 3–8–2007 को समाप्त हो गयी है।

2– तत्पश्चात नजूल नीति लागू रहने की अवधि समाप्त होने के उपरांत शासनादेश सं0–CM-134/V–आ0–2005–187(आ0) / 01टी0सी0–1 दिनांक 22–10–2007 द्वारा फ्रीहोल्ड के ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 03–8–2007 तक राजकोष में जमा की जा चुकी है, में नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4–8–2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये।

3– उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–1803 / V–आ0–2005–187(आ0) / 01टी0सी0–1 दिनांक 4–8–2005 के प्रस्तर 27 में संशोधन करते हुए निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31–7–2008 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4–8–2005 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

5– कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4–8–2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या 492(1) 187(आ0) / 01टी0सी0–I तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1– समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव